

सही अकीदा संबन्धित कुछ महत्वपूर्ण मसले

مسائل مهمة
في العقيدة الصحيحة



संकलन :

शैख मुहम्मद जमील जैन

اعداد

مختارات الشايخ شمس الدين صالح زندي

अनुवाद :

मुहम्मद सलीम साबिद अल-मदनी

تے

محمد سليم سلحد المدنی

ہندی

مسائل مهمہ فی العقیدۃ الصحیحة

سہیہ اکریدا سنبھلیت
کوچ مہات्वपूर्ण مسالے

संकलन :

شیخ مولانا جمیل جن

अनुवाद :

مولانا سالم ساجید نےپالی

आमन्त्रण तथा प्रदर्शन सहयोगी कार्यालय गर्बुद्धिरा

फोन : ४३९९४२ फैक्स : ४३९९८५१

पो. बक्स नं. १५४४८ रियाघ : ११७३६

ح مكتبة توعية الجاليات بغرب الديرة، ١٤٢٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية لتنمية النشر

زينو، محمد جميل

مسائل مهمة في العقيدة الصحيحة / محمد جميل زينو؛ محمد

سليم ساجد النببالي . - الرياض ، ١٤٢٥هـ

.. ص : .. سم

ردمك : ٩٦٦٠-٩٤٧٥-٨٠

(النص باللغة الهندية)

١ - التوحيد ٢ - العقيدة الإسلامية أ النببالي ، محمد سليم ساجد

(مترجم) ب . العنوان

١٤٢٥/٤٦٥٤ ديوبي ٢٤٠

رقم الإيداع : ١٤٢٥/٤٦٥٤

ردمك : ٩٦٦٠-٩٤٧٥-٨٠

حقوق الطباعة محفوظة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

विषय सूची

१. हमारी सृष्टि का उद्देश्य.....	८
२. तौहीद के प्रकार	१२
३. महापाप	१७
४. शिर्क अकबर के कुछ प्रकार.....	२१
५. जादू का हुक्म.....	२७
६. शिर्क असगर	३०
७. वसीला एवं उसके प्रकार.....	३५
८. दुआ एवं उसका हुक्म.....	३९
९. सूफ़ियत और उसका खतरा.....	४४
१०. कुरआन एवं हदीस के प्रति हमारा व्यवहार ४८	
११. कब्रों की जियारत और उस के आदाव	५२
१२. कब्रों पर सज्जा करना एवं जानवर जब्ह करना.....	५७
१३. दावत एवं तबलीग	६०
१४. कब्र इत्यादि को छूने का हुक्म	६२



बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

"उस अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो
महान् कृपालु एवं दयालु है।"

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله أما بعد :

हर प्रकार की स्तुति एवं प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं, तथा अल्लाह के रसूल (संदेशवाहक) पर दरूद और सलाम हो।

इस पुस्तिका में इस्लामी अकीदा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण मसअलों को प्रश्न-उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह मसअले शैख मोहम्मद जमील जैनू की पुस्तक (अल अकीदा अल-इस्लामिया मिनल किताबे वसुन्नह अस्सहीहा) से संकलित किये गये हैं। यद्यपि इन मसअलों की जानकारी कुछ मुसलमानों को अवश्य है, परन्तु मुसलमानों की बहुमत इन से अनभिज्ञ है। अल्लाह तआला से प्रार्थना है कि इस पुस्तिका को पढ़ने एवं लिखने वाले के लिए लाभदायक बनाए। निःसंदेह अल्लाह बड़ा ही दयालु एवं कृपालु है। तौफीक तथा साहस देने वाला केवल अल्लाह है।



हमारी सृष्टि का उद्देश्य

प्र-१: अल्लाह तआला ने हमें क्यों पैदा किया ?

उ-१: अल्लाह तआला ने हमें इसलिए जन्म दिया है कि हम केवल उसी की पूजा और इबादत करें, एवं उसके साथ किसी को साझी न ठहरायें। अल्लाह का फरमान है :

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذاريات: ५६)

"मैंने जिन्न एवम मनुष्य को इस लक्ष्य से जन्म दिया है कि वह केवल मेरी भक्ति करें।" (अल जारियात: ५६)

नबी ﷺ का कथन है :

«حَقَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرُكُوا بِهِ شَيْئًا»
(متفق عليه)

"अल्लाह का अधिकार उपासकों पर यह है कि वह अल्लाह की पूजा करें एवम उसके साथ किसी को

साझी न बनायें ।" (बुखारी, मुस्लिम)

प्र-२: इबादत (उपासना) का अर्थ क्या है ?

उ-२: इबादत प्रत्येक प्रत्यक्ष तथा अंतरात्मक बचन एवं कर्म को कहते हैं जो अल्लाह के निकट मनोनीत हैं तथा अल्लाह उन से प्रसन्न होता है । उदाहरणार्थः दुआ, नमाज़, आराधना, खुशूअ, विनय इत्यादि । अल्लाह तआला का बचन है :

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَمَسْكُونِي وَمَحِبَّايِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأنعام: ١٦٢)

"ऐ नबी! (संदेशवाहक) आप कह दें कि मेरी नमाज़, बलिदान, जीवन तथा निधन केवल अल्लाह के लिए हैं, जो पूरी जगत का परमात्मा है ।" (अल-अन्नामः ٩٦٢)

एक हीसे कुदसी में अल्लाह का कथन है :

«قالَ تَعَالَى وَمَا تَقْرُبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْيَّ مَا افْتَرَضْتَ عَلَيْهِ» (حدیث قدسی رواه البخاری)

"मेरे निकट सबसे रूचिकर वस्तु जिसके द्वारा मेरा

उपासक मेरी समीपता प्राप्त करता है, वह कार्य है जिसे मैंने उसके ऊपर अनिवार्य घोषित किया है।" (सहीह बुखारी)

प्र-३: इबादत (उपासना) के कितने प्रकार हैं ?

उ-३: इबादत के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे: दुआ करना, पुकारना, भयभीत होना, आशा रखना, भरोसा करना, इच्छुक होना, डरना, बलिदान देना, नजर नियाज (भेट, चढ़ावा) देना, रुकूअ करना, सज्दा करना, तवाफ़ करना, शपथ खाना, मध्यस्थ बनाना, इत्यादि । इसके अतिरिक्त भी इबादत के बहुत से प्रकार हैं ।

प्र-४: अल्लाह ने पैगम्बरों (संदेशवाहकों) का अवतरण क्यों किया ?

उ-४: अल्लाह ने संदेशवाहकों का अवतरण इस उद्देश्य से किया कि वे मानव को अल्लाह की पूजा और इबादत की ओर आमन्त्रित करें एवं शिर्क (अनेकेश्वरवाद) का अंत करें । अल्लाह का वचन है :

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبَيْنا
الظَّاغُوتَ) (النَّحْل: ٣٦)

"निःसंदेह हम ने प्रत्येक सम्प्रदाय में इस आज्ञा के साथ एक दूत पठाया कि -ऐ लोगो- केवल एक अल्लाह की पूजा करो तथा तागूत से बचो ।"
(अल-नहलः ३६)

तागूतः अल्लाह के अलावा जिसकी लोग पूजा करते हैं, और उसे पुकारते हैं, वह तागूत है । जबकि वह इस पूजा एवं पुकार से प्रसन्न हो । नबी ﷺ फरमाते हैं :

«الأنبياء إخوة... ودينهم واحد» (متفق عليه)

"पैगम्बर (संदेशवाहकगण) आपस में भाई-भाई हैं, एवं उनका धर्म एक ही है ।"

अर्थात् प्रत्येक ने एकेश्वरवाद की ओर मानव को आमन्त्रित किया ।



तौहीद के प्रकार

प्र-५: तौहीद रूबूबियत किसे कहते हैं ?

उ-५: अल्लाह को उसके कार्य में अकेला मानना एवं यह स्वीकार करना कि सृष्टिकर्ता वही है, अन्नदाता वही है, मृत्यु तथा जीवनदाता वही है, लाभ एवं हानिकारिता उसी के अधिकार में है, इत्यादि । अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحة: ۲)

"हर प्रकार की स्तुति, प्रशंसा उसी अल्लाह के लिए उचित है, जो सारी जगत का परमात्मा है ।"
(अल-फातहा: २)

नबी ﷺ फरमाते हैं :

«أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (متفق عليه)

"तू ही आकाश एवं धरती का ईश्वर है ।" (सहीह बुखारी, मुस्लिम)

प्र-६: तौहीद उलूहियत क्या है ?

उ-६: भक्ति एवं इबादत में अल्लाह को अकेला मानना ।

अर्थात् केवल एक अल्लाह की पूजा करना । उसी को पुकारना, उसी के लिए बलिदान देना, नजर व नियाज (भेंट, चढ़ावा) उसी के लिए करना, उसी को मध्यस्त बनाना, उसी के लिए नमाज पढ़ना, उसी से आशा रखना, उसी से भयभीत होना, उसी से सहायता माँगना तथा उसी पर भरोसा करना, इत्यादि । अल्लाह का वचन है :

﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ﴾

(البقرة: ١٦٣)

"तुम्हारा पूजित ईश्वर केवल एक है । उसके अलावा कोई अन्य पूजित नहीं है, और वह बड़ा ही दयालु एवं कृपालु है ।"

नबी ﷺ का फरमान है :

«فليكن أول ما تدعوههم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»

(متفق عليه) وفي رواية للبخاري "إلى أن يوحدوا الله"

"सर्वप्रथम मानव को इस बात की ओर आमन्त्रित करना कि वे साक्ष्य दें कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजनीय नहीं है । सहीह बुखारी की एक रिवायत में है : "मानव से अल्लाह के अद्वैत होने का स्वीकार कराओ ।" (सहीह बुखारी, मुस्लिम)

प्र-७: तौहीद रूबूबियत एवं तौहीद उलूहियत का मतलब क्या है ?

उ-७: इन दोनों का मतलब यह है कि मनुष्य अपने महात्मा, पालनकर्ता एवं पूजित की श्रेष्ठता तथा महानता को जाने, फिर केवल उसी की पूजा करे । अपना जीवन उसके आदेश के अनुकूल बिताये । उस के दिल में ईमान मज़बूत हो जाये, तथा इस भूमि पर अल्लाह की शरीअत (नियम) लागू हो जाये ।

प्र-८: तौहीद अस्मा व सिफात किसे कहते हैं ?

उ-८: तौहीद अस्मा व सिफात का उद्देश्य यह है कि उन नामों, विशेषताओं एवं खूबियों को साबित किया जाये जो अल्लाह ने कुरआन में (अपने) प्रति अथवा नबी (संदेशवाहक) ने अल्लाह के प्रति सहीह हदीस

में बताया है। बिना तावील, तम्सील, तातील एवं तक्यीफ के प्रमाणित करें। जैसे अर्श (सिंहासन) पर अल्लाह का विराजमान (मुस्तवी) होना, संसारीय आकाश पर अल्लाह का नुजूल (अनुलोम) करना एवं अल्लाह के हाथ इत्यादि जो अल्लाह के सम्मान के लिए उचित हो।

तावीलः

अल्लाह के नाम तथा सिफात (विशेषता) का उलटा व्याख्या करना।

तम्सीलः

अल्लाह के नाम तथा सिफात का किसी वस्तु के रूप में उदाहरण देना।

तातीलः

अल्लाह के नाम तथा सिफात को बेमाना (निरर्थक) घोषित करना।

तक्यीफः

अल्लाह के नाम तथा सिफात को किसी आकार के रूप में वर्णन करना।

अल्लाह का वचन है :

(لَيْسَ كَمِثْلُهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الشورى: ۱۱)

"अल्लाह के समान कोई वस्तु नहीं, और अल्लाह बहुत ही सुनने वाला एवं देखने वाला है।" (अल-शोरा: ۹۱)

नबी ﷺ फरमाते हैं :

«يَنْزَلُ رِبُّنَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاوَاتِ الدُّنْيَا» (متفق عليه)

"हमारा रब (परमात्मा) प्रत्येक रात्रि संसारीय आकाश पर नुज़ूल करता है।" (سہیہ بُخَاری, مُسْلِم)

अल्लाह का नुज़ूल (अनुलोम) करना, जो उसकी महानता के अनुकूल है, प्राणि वर्ग में से किसी के साथ उसका समाकार नहीं है।



महापाप

प्र-९: अल्लाह के निकट सबसे बड़ा पाप क्या है ?

उ-९: अल्लाह के निकट सब से बड़ा पाप शिर्क अकबर (महान अनेकेश्वरवाद) है। अल्लाह ने सदाचारी उपासक हजरत लुकमान के विषय में फरमाया कि उन्होंने अपने पुत्र से कहा :

﴿يَا بْنَيٰ لَا تُشْرِكُ بِاللّٰهِ إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ١٣)

"ऐ मेरे प्रिय पुत्र! अल्लाह के साथ किसी को साझी मत बनाना, निःसंदेह शिर्क (अनेकेश्वरवाद) महान अत्याचार है।" (लुकमान: १३)

जब नबी ﷺ से प्रश्न किया गया कि सब से महापाप कौन सा है? तो आप ने उत्तर दिया कि:

«أَنْ تَجْعَلَ اللّٰهُ نَدًا وَهُوَ خَلْقُكَ» (متفق عليه)

"सबसे महापाप यह है कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक एवं साझी बनाओ, हालाँकि तुम्हें

अल्लाह ने जन्म दिया है (तुम्हारी सृष्टि की है) ।"
(सहीह बुखारी, मुस्लिम)

प्र-१०: शिर्क अकबर (महान अनेकेश्वरवाद) का अर्थ क्या है ?

उ-१०: शिर्क अकबर का अर्थ यह है कि इबादत, पूजा एवं भक्ति के प्रकारों में से किसी को अल्लाह के बिना अन्य किसी के प्रति किया जाये । जैसे: दुआ, पुकार, बलिदान इत्यादि ।

अल्लाह का फरमान है :

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (يونس: ١٠٦)

"अल्लाह के सिवाय किसी अन्य को मत पुकारो, जो तुझे न लाभ पहुँचा सके न हानि, यदि ऐसा करोगे तो अवश्य अत्याचारियों में से हो जाओगे ।"
(यूनुस: १०६)

नबी ﷺ फरमाते हैं :

«أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعَقوَّبُ الْوَالَّدِينَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ» (رواه البخاري)

"सबसे महान अपराध (पाप) अल्लाह के लिए साझी ठहराना, माता-पिता की नाफरमानी (अवज्ञा) करना तथा झूठी गवाही देना है।" (बुखारी)

प्र-११: शिर्क अकबर के हानि क्या हैं ?

उ-११: शिर्क अकबर मनुष्य के लिए निरन्तरतापर्वक नर्कवासी होने का माध्यम एवं कारण है। अल्लाह का वचन है :

﴿إِنَّمَا مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا أَوَاهُ النَّارُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (المائدة: ٧٢)

"जो अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहरायेगा, उस पर अल्लाह ने स्वर्ग को हराम कर दिया है, और उसका ठिकाना नर्क है, एवं अत्याचारियों (अनेकेश्वरवादियों) के लिए कोई सहायक नहीं।" (अल-मार्दा : ७२)

नबी ﷺ का प्रवचन है :

«وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» (رواه مسلم)

"जो अल्लाह के साथ इस अवस्था में भेट करेगा कि वह किसी को अल्लाह का साझी ठहराता था, तो वह नर्क में प्रवेश करेगा।" (सहीह मुस्लिम)

प्र-१२: अनेकेश्वरवादी यदि कोई शुभ कार्य करे तो उसे सवाब मिलेगा ?

उ-१२: अनेकेश्वरवादी के लिए शुभ कार्य लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह का फरमान है :

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا الْجِبْطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: ٨٨)

"यदि यह पैगम्बर (संदेशवाहक) भी अल्लाह के साथ किसी अन्य को साझी ठहराते, तो इन के सभी पवित्र कार्य नष्ट हो जाते ।" (अल-अन्आम: ८८)

हदीसे कुदसी में अल्लाह का कथन है :

«أَنَا أَغْنِي الشَّرْكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مِنْ عَمَلِ عَمْلًا أَشْرَكَ معي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتَهُ وَشَرَكَهُ» (حديث قدسي)

"मैं साझीदारों से बेनियाज हूँ कि मेरे साथ किसी को साझी ठहराया जाये । जिस ने किसी कार्य में मेरे साथ किसी को साझी किया तो वह जाने एवं उसका काम जाने, मेरे साथ उसका कोई संबन्ध (लगाव) नहीं ।"



शिर्क अकबर के कुछ प्रकार

प्र-१३: मृतकों एवं अनुपस्थित व्यक्तियों से मदद के लिए फरियाद करना कैसा है ?

उ-१३: पूर्वोक्त व्यक्तियों से फरियाद करना अवैधानिक है । हमें केवल अल्लाह से फरियाद करनी चाहिए। अल्लाह का वचन है :

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ أَمْوَاتٍ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيْمَانَ يَمْعَثُونَ﴾
(النحل: ٢١، ٢٠)

"अल्लाह के अलावा जिन्हें यह पुकारते हैं वे किसी भी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते, बल्कि वे स्वयं जन्म दिये गये हैं, यह मरे हुए हैं, जीवित नहीं। इन्हे तो यह भी ज्ञान नहीं कि इन्हे कब्रों से पुनः कब उठाया जायेगा ।" (अल-नहल: २०, २१)

नबी ﷺ का वचन है :

«يَا حَيْ يَا قِيَومٍ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْفِرُكَ» (حسن، رواه
الترمذى)

"ऐ हमेशा जीवित एवं क्रायम रहने वाले परमात्मा! मैं तेरी ही कृपा तथा दया का तालिब हूँ।" (सुनन तिर्मिज्जी) यह रिवायत हसन दर्जा की है।

प्र-१४: जीवित व्यक्तियों से मुसीबत में मदद के लिए फरियाद करना कैसा है ?

उ-१४: जीवित व्यक्तियों से मुसीबत में ऐसी मदद के लिए फरियाद करना जाइज्ज है, जिसकी वे शक्ति रखते हों। अल्लाह तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के संबन्ध में फरमाता है :

﴿فَاسْتَغْفِرَهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ (القصص: १०)

"मूसा के समुदाय के एक व्यक्ति ने उनसे अपने शत्रु से बचाव के लिए फरियाद की, मूसा ने उसे एक मुक्का मारा और उसका अंत कर दिया।"
(अल-क्रसस: १५)

प्र-१५: क्या अल्लाह के बिना किसी से सहायता माँगना जाइज्ञ है ?

उ-१५: ऐसे कार्य एवं वस्तुओं में किसी से सहायता माँगना जाइज्ञ नहीं है, जिनकी क्षमता एवं शक्ति अल्लाह के अलावा किसी के पास न हो। अल्लाह का फरमान है :

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (الفااتحة: ٥)

"ऐ परमात्मा! हम केवल तेरी पूजा करते हैं, और केवल तुझसे सहायता माँगते हैं।" (अल-फातेहा: ५)

नबी ﷺ फरमाते हैं :

«إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعْنْ بِاللَّهِ» (رواه

الترمذی وقال: حديث حسن صحيح)

"जब माँगना हो तो केवल अल्लाह से माँगो, सहायता की आवश्यकता हो तो केवल अल्लाह से सहायता माँगो।" (सुनन तिर्मिज्जी) यह हदीस हसन सहीह है।

प्र-१६: क्या हम जीवित व्यक्तियों से सहायता माँग सकते हैं ?

उ-१६: जी हाँ, यदि वह सहायता करने की क्षमता रखते हों तो कोई हरज नहीं है। जैसे ऋण माँगना, किसी कार्य में मदद माँगना। अल्लाह का फरमान है :

(وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى) (المائدة: २)

"शुभ, संयम कार्य में एक दूसरे की सहायता करो।"
(अल-माइदा: २)

नवी ﷺ फरमाते हैं :

«وَاللهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ أَخِيهِ»
(رواه مسلم)

"अल्लाह तआला उस व्यक्ति की मदद में होता है जब तक कि वह अपने भाई की सहायता में रहता है।" (सहीह मुस्लिम)

परन्तु: स्वास्थ्य, रोज़ी, तौफीक, इत्यादि केवल अल्लाह से माँगना अनिवार्य है। क्योंकि जीवित व्यक्ति भी इन कार्य से बेवस हैं, तो मृतकों की क्या क्षमता !! अल्लाह का वचन है :

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِنِي وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي
وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِي﴾ (الشعراء: ٧٨-٨٠)

"जिसने मुझे जन्म दिया, वही मुझे सत्य मार्ग दिखाता है, वही मुझे खिलाता और पिलाता है, तथा जब मैं रोगी हो जाऊँ तो वही मुझे स्वास्थ देता है।" (अल-शोअरा: ७८-८०)

प्र-१७: अल्लाह के बिना किसी अन्य के नाम मिन्नत मानना कैसा है ?

उ-१७: अल्लाह के बिना किसी अन्य के नाम मिन्नत मानना एवं (चढ़ावा-चढ़ाना) जाइज्ज नहीं है। अल्लाह ने हज़रत इमरान की पत्नी की हिकायत बयान की है :

﴿رَبِّ إِلَيْي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً﴾
(آل عمران: ٣٥)

"(इमरान की पत्नी ने कहा:) ऐ मेरे परमात्मा! मैंने तेरे लिए मिन्नत मानी है कि मेरे पेट (उदर) में जो संतान है उसे मैं तेरी भक्ति के लिए स्वतन्त्र (आजाद) कर दूँगी।" (आले इमरान: ३५)

नबी ﷺ फरमाते हैं :

- «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه» (رواه البخاري)

"जिसने यह मिन्नत मानी कि वह अल्लाह की इताअत (आज्ञा पालन) करेगा उसे चाहिए कि मिन्नत पूरी करे और जिसने यह मिन्नत मानी कि वह अल्लाह की नाफरमानी (अवज्ञा) करेगा, उसे चाहिए कि मिन्नत पूरी न करे (अर्थात् अल्लाह की अवज्ञा न करे) |" (सहीह बुखारी)



जादू का हुक्म

प्र-१८: जादू का क्या हुक्म है ?

उ-१८: जादू महान अपराधों में से एक अपराध है जो कभी-कभार कुफ्र को पहुँच जाता है। अल्लाह का वचन है :

﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَّمُونَ النَّاسَ السُّخْرَ﴾

(البقرة: ١٠٢)

"परन्तु शैतानों ने कुफ्र किया, वे मानव को जादू की शिक्षा देने लगे।" (अल-बक्रा: १०२)

नबी ﷺ का फरमान है :

«اجتباوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر...» الحديث

(رواه مسلم).

"सात प्रकार के घातक कार्यों से बचो : अल्लाह के साथ किसी को साझी बनाना एवं जादू करना...।" (सहीह मुस्लिम)

प्रायः जादूगर अनेकेश्वरवादी और नास्तिक होता है। दण्ड के स्वरूप उसका क्रत्व करना अनिवार्य है। यह दण्ड उसके मिथ्यावाद के अनुसार है। जैसे: दृष्टिबंध, धार्मिक षड्यन्त्र, अशान्ति, अपराध के प्रति पर्दा पोशी करना, पति-पत्नी के बीच भेद एवं पृथकता पैदा करना, जीवन समाप्त करना, बुद्धि नष्ट करना इत्यादि।

प्र-१९: क्या हम इल्मे गैब (परोक्ष ज्ञान) के प्रति दैवज्ञ नुजूमी (ज्योतिषी) एवं दीढ़ बैंधों की पुष्टि एवं तस्दीक कर सकते हैं?

उ-१९: उनकी पुष्टि करना अनुचित एवं नाजाइज्ज है।
अल्लाह का फरमान है :

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ﴾
(النمل: ٦٥)

"ऐ नबी ! आप कह दें, आकाश एवं धरती में अल्लाह के अलावा किसी को परोक्ष का ज्ञान नहीं" (अल-नमल: ६५)

नबी ﷺ फरमाते हैं :

«من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل
عليٍّ محمد» (صحيح، رواه أحمد)

"जो व्यक्ति किसी दैवज्ञ अथवा ज्योतिषी के पास जाये एवं उसके वचन की पुष्टि करे (उसे सत्य माने) तो निःसंदेह उसने उसका अस्वीकार किया जो मोहम्मद पर अवतरित किया गया है।" -अर्थात् वह नास्तिक हो गया- (मुस्नद अहमद) यह हदीस سहीह है।



शिर्क असगर

प्र-२०: शिर्क असगर (छोटा अनेकेश्वाद) क्या है ?

उ-२०: शिर्क असगर महान पाप एवं अपराधों में से है, परन्तु उसका कर्ता नर्क में हमेशा नहीं रहेगा। शिर्क असगर के विभिन्न प्रकार हैं। उन्हीं में से रेयाकारी (दिखावा) है। अल्लाह का वचन है :

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: ١١٠)

"जो अल्लाह से भेंट करने की आशा रखता है उसे नेक काम करना चाहिए एवं अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे।" (अल-कहफः: ٩٩٠)

नबी ﷺ फरमाते हैं :

«إِنَّ أَخْوَافَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرُكُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَا»
(صحیح، رواہ احمد)

"मुझे तुम्हारे प्रति सबसे ज़्यादा शिर्क असगर का भय है और वह रेया है।" (अर्थात्: दिखावे के लिए कोई कार्य करना) (मुसनद अहमद, सहीह)

प्र-२१: क्या अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की शपथ खाना जाइज़ है ?

उ-२१: अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की शपथ खाना जाइज़ नहीं है। अल्लाह का कथन है :

(فُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَبْعَثُنَّ) (التغابن: ٧)

"आप कह दें : हाँ, मेरे रब (परमात्मा) की कसम! तुम अवश्य जीवित किये जाओगे (उठाए जाओगे)।"

(अल-तगाबुनः ٧)

नबी ﷺ का फरमान है :

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)) (صحیح رواہ احمد)

"जिस ने अल्लाह के अलावा किसी की शपथ खाई उसने शिर्क किया।" (सहीह, मुसनद अहमद)

आप ﷺ का यह भी वचन है :

«من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»

"जो व्यक्ति शपथ खाना चाहे, वह अल्लाह की शपथ खाये अथवा चुप रहे ।"

पैगम्बरों अथवा वलियों की शपथ खाना शिर्क अकबर (महान अनेकेश्वरवाद) भी हो सकता है, जब शपथ खाने वाला यह भावना रखे कि इन्हे संसार में अधिकार प्राप्त है और वे उसे हानि पहुँचा सकते हैं, अतः वह वलियों के नाम झूठी शपथ खाने से भयभीत हो ।

प्र-२२: क्या स्वास्थ्य के उद्देश्य से धागा एवं बाला या कड़ा पहन सकते हैं ?

उ-२२: यह सब पहनना जाइज नहीं है । अल्लाह का वचन है :

(وَإِنْ يَمْسِنْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ)
(الأنعام: ١٧)

"यदि अल्लाह तुझे कोई हानि पहुँचाना चाहे तो अल्लाह के अलावा उसे कोई नहीं टाल सकता ।"
(अल-अन्नाम: १७)

हजरत हुजैफा रजि अल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि उन्होंने एक व्यक्ति के हाथ में बुखार से बचाव के लिए धागा बैंधा हुआ देखा, उन्होंने उसे काट दिया एवं पवित्र कुरआन की यह आयत (श्लोक) पढ़ी :

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

(يوسف: ١٠٦)

"इनमें से अधिक लोग अल्लाह पर ईमान रखते हुए भी मुशरक (अनेकेश्वरवादी) हैं।" (यूसुफः ٩٠٦)

प्र-२३: क्या बुरी नजर से बचाव के लिए पत्थर के दाने, कौड़ी इत्यादि लटका सकते हैं ?

उ-२३: इन वस्तुओं का लटकाना जाइज नहीं है। अल्लाह का वचन है :

﴿وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

(الأنعام: ١٧)

"यदि अल्लाह तुझे कोई हानि पहुँचाना चाहे तो उसे अल्लाह के अलावा कोई नहीं टाल सकता।"

(अल-अन्झामः ٩٧)

नबी ﷺ का फरमान है :

«من تعلق بقيمة فقد أشرك» (صحیح، رواه أحمد)

"जिस ने तावीज़ (यन्त्र) लटकाया, उस ने शिर्क किया।" (मुसनद अहमद)

यह हदीस सहीह है ।



वसीला एवं उसके प्रकार

प्र-२४: अल्लाह की नजदीकी (निकटता) हासिल करने के लिए हमें कौन सा वसीला अपनाना चाहिए ?

उ-२४: वसीला दो प्रकार के हैं : एक जाइज दूसरा नाजाइज ।

१- जाइज वसीला :

अल्लाह के पवित्र नाम, सिफात, शुभकार्य एवं जीवित सदाचारियों से दुआ कराना । अल्लाह का वचन है :

﴿وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الأعراف: ١٨٠)

'अल्लाह के पवित्र नाम हैं, उनके माध्यम से अल्लाह को पुकारो ।" (अल-आराफः १८०)

अल्लाह ने यह भी फरमाया :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

(المائدः ३५)

"ऐ ईमानवालो ! अल्लाह का भय करो, एवं उसकी निकटता हासिल करो ।" (अल-माइदा: ३५)

अर्थात् अल्लाह की आज्ञापालन एवं अल्लाह के प्रति पसन्दीदा नेक काम के जरिये अल्लाह की निकटता प्राप्त करो ।

नबी ﷺ फरमाते हैं :

«أَسْأَلُكُكُ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيتَ بِهِ نَفْسِكَ» (صحيح،
رواه أحمد)

"ऐ मेरे अल्लाह ! मैं तेरे प्रत्येक नाम से जो तूने अपने लिए मनोनीत किया है, तुझ से माँगता हूँ ।"
(मुसनद अहमद) यह हदीस सहीह है ।

इसी प्रकार अल्लाह के अपने पैगम्बरों एवं नेक बन्दों के साथ प्रेम, तथा हम इनके साथ अपनी मोहब्बत के जरिये से अल्लाह की नजदीकी प्राप्त कर सकते हैं । इसलिए कि उनके संग हमारी मोहब्बत एवं प्रेम शुभ कार्य हैं । जैसे: हम यह कह सकते हैं : ऐ अल्लाह ! तू अपने पैगम्बरों एवं नेक बन्दों के साथ प्रेम के माध्यम से हमारी

सहायता कर तथा उनके साथ अपनी मित्रता के जरिये हमें स्वास्थ्य प्रदान कर।

२- नाज़िङ्ग वसीला :

मृतकों को पुकारना, उनसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति तलब करना, जैसाकि वर्तमान समय में बहुत से मुस्लिम समुदाय की दशा एवं अवस्था है। निःसंदेह यह शिर्क अकबर (महान अनेकेश्वरवाद) है। अल्लाह का वचन है:

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (يونس: ١٠٦)

"अल्लाह के अलावा किसी अन्य को न पुकारो, जो तुझे न लाभ पहुँचा सके न हानि, यदि ऐसा करोगे तो अवश्य ज़ुल्म करने वालों में से हो जाओगे।"
(यूनुस : १०६)

३- नबी ﷺ के सम्मान (हस्ती) का वसीला अपनाना :

जैसे - यह कहना "ऐ मेरे परमात्मा मोहम्मद के सम्मान एवं हस्ती के तुफ़ैल में मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर।" यह भी गलत है, क्योंकि इस प्रकार के वसीलों का कोई प्रमाण नबी के सर्वश्रेष्ठ साथियों के जीवनकाल में नहीं मिलता।

जब नबी ﷺ इस संसार से रेहलत (मृत्यु) फर्मा गये तो हजरत उमर ने नबी के चचा हजरत अब्बास से जो कि जीवित थे, दुआ के लिए निवेदन किया, नबी से नहीं किया।

इस प्रकार का वसीला शिर्क तक पहुंचा सकता है, जब यह भावना रखे कि अल्लाह इंसान के वसीले का मुहताज है, जिस प्रकार राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के प्रति माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की भावना रखने वाला सृष्टिकर्ता परमात्मा का मानव जाति के साथ तुलना करता है जो कि महान शिर्क है।

इमाम अबू हनीफा का उपवचन है :

"मैं इस बात को मकरूह समझता हूँ कि अल्लाह के अलावा किसी अन्य से माँग ।" (अल-दुर्रूल मुख्तार)

पुराने उलमा के नजदीक कराहत का मतलब हराम है।



दुआ एवं उसका हुक्म

प्र-२५: क्या दुआ की स्वीकृति के लिए किसी व्यक्ति का वसीला अपनाना अनिवार्य है ?

उ-२५: दुआ की स्वीकृति के लिए किसी व्यक्ति के वसीले की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह का फरमान है:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنَّمَا قَرِيبٌ﴾ (البقرة: ١٨٦)

"ऐ नबी जब मेरे बन्दे तुझ से मेरे विषय में प्रश्न करें तो कह दो कि मैं उनसे बहुत निकट हूँ।"
(अल-बक्रा: १८६)

नबी ﷺ का फरमान है :

«إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم» (رواه مسلم)

"निः संदेह तुम लोग उस अल्लाह को पुकार रहे हो जो सुनता है, निकट है तथा तुम्हारे साथ है।"
(सहीह मुस्लिम)

अर्थात् वह अपने इल्म एवं ज्ञान से तुम्हारे साथ है और तुम्हारी पुकार को सुनता है तथा तुम्हे देखता है।

प्र-२६: क्या जीवित व्यक्तियों से दुआ के लिए निवेदन करना जाइज़ है ?

उ-२६: हाँ, जीवित व्यक्तियों से दुआ के लिए निवेदन करना जाइज़ है, परन्तु मृतकों से नहीं। अल्लाह ने नबी ﷺ को सम्बोधित करते हुए फरमाया :

(وَاسْتَغْفِرْ لِذَلِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) (محمد: ۱۹)

"अपने गुनाहों की बछिशश माँगो और मोमिन पुरुषों एवं मोमिन महिलाओं के लिए अल्लाह से क्षमा माँगते रहो।" (मुहम्मद: ۱۹)

सुनन तिर्मजी में एक सहीह हदीस है कि एक अंधा व्यक्ति नबी ﷺ की सेवा में उपस्थित हुआ एवं निवेदन किया: ऐ अल्लाह के उपदेशक! मेरे लिए अल्लाह से प्रार्थना कीजिए कि मेरी दृष्टि पुनः लौट आये। आप ने फरमाया : "तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं दुआ कर देता हूँ और यदि संतोष कर लो तो यह तुम्हारे पक्ष में अति लाभदायक होगा।"

प्र-२७: नबी ﷺ की शफाअत (सिफारिश) किस से मार्गी जाये ?

उ-२७: अल्लाह से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह ! हमें नबी की शफाअत प्रदान कर। अल्लाह का फरमान है :

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ (ال Zimmerman: ٤٤)

"ऐ नबी ! कह दो कि हर प्रकार की शफाअत (अभिस्ताव) अल्लाह के अधिकार में है।" (अल-जुमर: ٤٤)

तिर्मिजी में एक रिवायत है कि नबी ने एक सहाबी को इस प्रकार प्रार्थना करना सिखाया :

«اللهُمَّ شُفْعُهُ فِي» (رواه الترمذی وقال: حسن صحيح)

"ऐ अल्लाह ! रसूल को मेरा सिफारिशी बना।" (सुनन तिर्मिजी) यह हदीस हसन सहीह है।

नबी ﷺ फरमाते हैं :

«إِنِّي خَبَأْتُ دُعَوْتِي شَفَاعَةً لِأَمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ

إِنْ شَاءَ اللَّهُ، مِنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا»
 (رواه مسلم)

"मैंने अपनी दुआ को कियामत (महाप्रलय) के दिन अपनी उम्मत (समुदाय) की शफाअत (अभिस्ताव) के लिए गुप्त रखा है, यदि अल्लाह ने चाहा तो मेरी शफाअत मेरी उम्मत के हर उस व्यक्ति को प्राप्त होगी, जो मृत्युकाल तक अल्लाह के साथ किसी को साझी न ठहराया हो।" (سہیہ مسلم)

प्र-२८: क्या जीवित व्यक्तियों की सिफारिश (अनुशंसा) ली जा सकती है ?

उ-२८: संसारिक कामकाज में जीवित व्यक्तियों से सिफारिश कराना जाइज है। अल्लाह का वचन है:

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ (النساء: ٨٥)

"जो व्यक्ति नेक कार्य की सिफारिश करेगा उसे उसके पुण्य में से एक भाग प्राप्त होगा, और जो

बुरे कार्य की सिफारिश करेगा तो उसे उसके पाप में से एक भाग मिलेगा ।" (अल-निसा: ८५)

नबी ﷺ का कथन है :

«اشفعوا تؤجروا» (صحیح، رواه أبو داود)

"शुभ कार्य की सिफारिश करो, तुम्हे अच्छा फल प्राप्त होगा ।" (अबू दाउद) यह हडीस सहीह है ।



सूफ़ियत और उसका खतरा

प्र-२९: सूफ़ियत (अध्यात्मवाद) के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है ?

उ-२९: नबी ﷺ, उनके सहाबा एवं ताबर्इन के जीवनकाल में अध्यात्मवाद का वजूद नहीं था, यह उस समय जाहिर हुआ जब यूनानी पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया ।

सूफ़ियत विभिन्न इस्लामी शिक्षाओं के प्रतिकूल एवं विपरीत है । जैसे :

१- अल्लाह के अतिरिक्त अन्य से दुआ माँगना :

अधिकांश (अकसर) सूफी अललाह के अलावा मृतकों से दुआ माँगते हैं । जबकि नबी ﷺ का फरमान है :

«الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» (رواه الترمذی وقال: حسن صحيح)

"दुआ इबादत (उपासना) है ।" (सुनन तिर्मिजी)

और कहा : यह हदीस हसन सहीह है ।

जब दुआ, उपासना के अन्तरगत है तो उसे अल्लाह के अलावा किसी अन्य के लिए करना महान अनेकेश्वरवाद है, जिसे दूसरे भी शुभ कार्य नष्ट हो जाते हैं।

२- अधिकतर सूफी लोग यह अकीदा रखते हैं कि अल्लाह स्वयं अपने अस्तित्व के साथ प्रत्येक स्थान में उपस्थित है। जबकि यह कुरआन का खुला विरोध है।
कुरआन कहता है :

﴿الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَ﴾ (طه: ٥)

"रहमान (अल्लाह तआला) आकाश में अर्श (सिंहासन) पर बिराजमान है।" (ताहा: ५)

सहीह बुखारी में है कि अल्लाह अर्श पर बुलन्द हो गया है।

३- कुछ सूफी यह भावना रखते हैं कि अल्लाह अपनी मख्लूकात में होलूल (विलीन) कर गया है। दमिश्क में भूमिहित सूफियों का महान प्रसिद्ध नायक "इब्ने अरबी" यहाँ तक कह दिया है :

«العبد رب، والرب عبد يأليت شعرى من المكلف»

"बन्दा ही रब है और रब ही बन्दा है।"

यानी उपासक ही ईश्वर है, एवं ईश्वर ही उपासक है। काश मुझे यह ज्ञान होता कि उत्तरदायी कौन है?"

एक शैतान सूफी का कहना है :

«وَمَا الْكَلْبُ وَالْخَنَزِيرُ إِلَّا إِلَهٌ لَنَا»
"कुत्ता एवं सुअर तो हमारे ईश्वर हैं तथा गिरजाघर में जो पादरी है वही तो अल्लाह है।"

४- अधिकतर सूफी यह मत रखते हैं कि अल्लाह ने इस संसार की सृष्टि मोहम्मद ﷺ के कारण की है। जबकि यह मत कुरआनी संदेश का स्पष्ट खिलाफ (विपरीत) है। अल्लाह का वचन है :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ५६)

"मैंने जिन्न तथा मनुष्य की सृष्टि इसलिए की है कि वे केवल मेरी इबादत (उपासना) करें।" (अल-जारियात: ५६)

अल्लाह का यह भी फरमान है :

﴿وَإِنَّ لَنَا لِلآخرَةِ وَالْأُولَى﴾ (الليل: १३)

"नि: संदेह आखिरत और संसार के मालिक हम हैं।"

(अल-लैल: १३)

५- अधिकतर सूफियों का यह कहना है कि अल्लाह ने मोहम्मद ﷺ की सृष्टि अपने नूर (प्रकाश) से की, एवं मोहम्मद के नूर (प्रकाश) से अन्य प्राकृति (मखलूक) को पैदा किया, तथा मोहम्मद अल्लाह की पहली मखलूक हैं। (अर्थात् सबसे पहले अल्लाह ने मोहम्मद की सृष्टि की) यह सभी अक्रीदे कुरआन के खिलाफ (विपरीत) हैं।

६- सूफियों की प्रतिकूलताओं में से : औलिया (ऋषि, मुनि) के नाम मिन्नत मानना, उनकी समाधियों (कब्रों) का तवाफ करना, कब्रों पर कलश मजार एवं गुंबद बनाना, जिक्र व अज्ञकार एवं दुआयें गैर इस्लामी रूप से करना, जो अल्लाह और उसके रसूल से प्रमाणित नहीं। जिक्र करते समय झूमना, गीत और गाने की तरह दुआ पढ़ना, नाचरंग करना, यंत्र, जादू तथा दीठबंदी करना, अनुचित रूप से समाज का माल खाना, लोगों के साथ छल व्यवहार करना इत्यादि हैं।



कुरआन एवं हदीस के प्रति हमारा व्यवहार

प्र-३०: क्या हम अल्लाह एवं उसके रसूल के फरमान पर
किसी अन्य के वचन को प्रधानता दे सकते हैं?

उ-३०: अल्लाह एवं उसके रसूल के फरमान पर हम
किसी अन्य के वचन को प्रधानता नहीं दे सकते।
क्योंकि अल्लाह का आदेश है :

(بِأَيْمَانِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)

(الحجرات: ١)

"ऐ ईमानवालो ! तुम लोग अल्लाह एवं उसके
रसूल से आगे मत बढ़ो।" (अल-हुजुरात: १)

नबी ﷺ का वचन है :

«لَا طَاعَةٌ لِّخَلْقٍ فِي مُعْصِيَةِ رَحْمَةِ الْخَالِقِ» (صحیح، روایہ احمد)

"अल्लाह तआला की नाफरमानी करके इंसानों की
इताजत करना जाइज नहीं है।" (मुसनद अहमद)

हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया :

«أَرَاهُمْ سِيَهْلَكُونَ، أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، وَيَقُولُونَ قَالَ
أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرٍ» (رواه أحمد وغيره)

"मुझे लगता है कि यह लोग हेलाक (विनष्ट) कर दिए जायेंगे, मैं इन से कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया, परन्तु यह कहते हैं कि अबू बक्र एवं उमर ने ऐसा फरमाया ।" (मुसनद अहमद इत्यादि)

प्र-३१: यदि धार्मिक मामलों में हमारे बीच इखितेलाफ (भिन्नता) हो जाये तो हमें क्या करना चाहिए ?

उ-३१: इस अवस्था में हमें कुरआन एवं हदीस की ओर मामले को लौटाना चाहिए ।

अल्लाह का कथन है :

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُثُرْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَأْوِيلًا﴾
(النساء: ५९)

"यदि किसी विषय में तुम्हारे बीच मतभेद हो जाये

तो समाधान के लिए उसे अल्लाह एवं उसके दूत की ओर लौटाओ, यदि तुम अल्लाह तथा क्र्यामत (महाप्रलय) के दिन पर ईमान रखते हो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है तथा इसका परिणाम उत्तम है।" (अल-निसा: ५९)

नबी ﷺ का फरमान है :

«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كاب الله وسنة رسوله» (رواه مالك وصححه ألباني في صحيح الجامع)

"मैं तुम्हारे बीच दो ऐसी चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ जब तक तुम इन दोनों को मज़बूती से थामे रहोगे कदापि गुमराह (पथभ्रष्ट) नहीं होगे, वह अल्लाह की किताब (कुरआन) एवं उसके रसूल की सुन्नत (हदीस) हैं।" (मोवत्ता मालिक, सहीह अलजाम)

प्र-३२: उस व्यक्ति के प्रति इस्लाम का क्या हुक्म है जो यह भावना रखे कि इस्लामी आदेशात्मक एवं निषेधात्मक शिक्षाएं (अवामिर एवं नवाही) उसके लिए अनिवार्य नहीं हैं तथा वह इसका उत्तरदायी नहीं है ?

उ-३२: ऐसा व्यक्ति काफिर, धर्मभ्रष्ट एवं इस्लाम से बाहर है, क्योंकि पूजा केवल अल्लाह के लिए है। "लाइलाह इल्लाहो मोहम्मदुरसूलुल्लाह" के स्वीकार का उद्देश्य भी यही है। इबादत एवं पूजा वास्तविक रूप से उस समय तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि हर एक विषय में अल्लाह की आज्ञापालन न की जाए और उसे 'माबूद' न मान लिया जाए। अर्थात्: ईमान एवं अकीदा के मामले में, उपासना एवं भक्ति के अभियाचन में इस्लामी नियम को ही मध्यस्थ स्वीकार करना, जीवन के प्रत्येक कार्यक्षेत्र में अल्लाह के आदेश का पालन करना। हलाल तथा हराम घोषित करना केवल अल्लाह का अधिकार है। बिना ईश्वरीय तर्क एवं प्रमाण के किसी वस्तु तथा कार्य को हलाल या हराम करार देना, एक प्रकार का शिर्क है, जो अल्लाह की पूजा एवं इबादत में अन्य को साझी ठहराने के समान है।



क्रब्रों की जियारत और उस के आदाव

प्र-३३: क्रब्रों की जियारत (समाधि दर्शन) का क्या हुक्म है, तथा इसका उद्देश्य क्या है ?

उ-३३: पुरुषों के लिए किसी भी समय क्रब्रों की जियारत करना जाइज (मनोनीत) है लेकिन महिलावृन्द के लिए मना (प्रतिबन्ध) है ।

इसके विभिन्न उद्देश्य एवं आदाव हैं :

१- इसमें याद दिहानी एवं पाठ है । ताकि जीवित व्यक्ति यह ध्यान रखें कि उन्हे भी एक दिन अवश्य मरना है, अतः शुभ कर्म में लग जायें ।

नबी ﷺ का फरमान है :

«كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (رواه مسلم)

"निःसंदेह मैंने तुम्हे क्रब्रों की जियारत से रोक दिया था परन्तु अब अनुमति दे रहा हूँ कि तुम लोग क्रब्रों की जियारत करो ।" (सहीह मुस्लिम)

एक अन्य रिवायत में है :

«إِنَّهَا تَذَكُّرْكُمْ بِالآخِرَةِ» (صحيح رواه أحمد وغيره)

"यह तुम्हें आखिरत (परलोक) की याद दिलाएगी ।"
(मुस्तद अहमद इत्यादि)

२- हमें मृतकों की बखिशश के लिए दुआ करनी चाहिए ।
हम मृतकों को न तो पुकारें न उनसे दुआ के लिए
निवेदन करें । नबी ﷺ ने अपने साथियों को शिक्षा दी थी
कि क्रिस्तान में प्रवेश करते समय यह दुआ पढ़ें :

«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وال المسلمين، وإن
إن شاء الله بكم لاحقون أسائل الله لنا ولكلم العافية»
(رواه مسلم)

"ऐ इस स्थान के मुस्लिम तथा मोमिनों! तुम पर
अल्लाह की शान्ति एवं कृपा हो, इंशा अल्लाह हम
तुमसे अवश्य मिलने वाले हैं, हम अपने एवं तुम्हारे
लिए अल्लाह से शान्ति की याचना करते हैं ।"
(सहीह मुस्लिम)

३- कब्रों पर न तो बैठना चाहिए न उसकी ओर मुख

کرکے نماज پढ़नी چاہیए । نبی ﷺ فرماتे हैं :

«لَا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلٰيها» (رواه مسلم)

"کبوتروں پر ن بیٹھو، ن اُس دیشہ چہرہ کرکے نماج پڑو ।" (سہیہ مُسْلِم)

٤- کبوتروں پر کُرآن بیلکُل نہیں پढ़نا چاہیए چاہے سُورَةٗ فَاتِحَةٌ هी ک्यों ن हो । نبی ﷺ کا وصان है :

«لَا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» (رواه مسلم)

"अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, निःसंदेह शैतान उस आवास से भाग जाता है जिसमें सूरः बकरा पढ़ी जाए ।" (سہیہ مُسْلِم)

इस हदीس में संकेत है कि कब्रिस्तान कुरआन पढ़ने का स्थान नहीं है, इसके प्रत्युत घर (आवास) वह स्थान है जहाँ कुरआन पढ़ना चाहिए ।

نبی ﷺ एवं उनके साथियों से इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने मृतकों के लिए कुरआन पढ़ा हो, बल्कि वे मृतकों के लिए दुआ करते थे । نبی ﷺ جब किसी मृतक

को दफना कर फारिग होते तो वहाँ कुछ देर ठहरते तथा फरमाते :

«استغفرو للأخيم وسلواه التثبيت فإنه الآن يسأل»
 (صحيح رواه الحاكم)

"अपने भाई की बख़िशश के लिए अल्लाह से प्रार्थना करो, एवं इसकी सावित कदमी (दृढ़ता) के लिए दुआ करो, क्योंकि इससे अभी पूछताछ कि जाएगी।"
 (मुस्तद्रक हाकिम) यह हदीस सहीह है।

५- कब्रों पर फूल, धूप, सुमन इत्यादि नहीं रखना चाहिए क्योंकि नबी एवं उनके साथियों ने ऐसा नहीं किया, साथ ही इसमें नसारा (इसाईयों) के साथ मुशाबेहत (अनुरूपता) है। यदि हम फूलों का दाम निर्धन, गरीब व्यक्तियों को दान कर दें तो मृतक एवं भिखारी दोनों को अवश्य इसका लाभ पहुँचेगा।

६- चूना अथवा पेन्ट से कब्रों की लीप पोत नहीं करनी चाहिए, न उन पर कलश, गुंबद इत्यादि बनाना चाहिए। क्योंकि हदीस में है :

«نَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَحْصُصَ الْقَبْرَ وَأَنْ يَبْنَى عَلَيْهِ»
 (رواه مسلم)

"نَبِيٌّ ﷺ نے کربلا کو چونا سے پوتا نہ اکنہں اس پر کلش، دیوال (इत्यादि) بنانا سے مانا فرمایا ہے!" (سہیہ مسلم)

۷۔ اے مere مسلمان بارڈ! موتکوں کو پوکارنے، ان سے دعاؤ کرانے، تथا ان سے سہایتہ کے لیے انुرو� کرنے سے بچو، کیونکی یہ مہان شرک ہے । موتکوں کو کسی پ्रکار کا اधیکار پ्रاپت نہیں، کہوں اللہ سے مانگو، وہی شکیتمان ہے اکنہں وہی دعاؤ (پوکار) سُنیکرٹ کرنے والा ہے ।



क्रब्रों पर सज्दा करना एवं जानवर जब्ह करना

प्र-३४: क्रब्रों पर सज्दा करना एवं जानवर जब्ह करना कैसा है ?

उ-३४: क्रब्रों के निकट सज्दा करना एवं जानवर जब्ह करना जाहिलियत के काल की मूर्ति पूजा, एवं शिर्क अकबर है। क्योंकि जब्ह एवं सज्दा महान इबादत (अराधना) है, और इबादत केवल अल्लाह के लिए होनी चाहिए जो इसे किसी अन्य के लिए करेगा वह मुशरिक है। अल्लाह का वचन है :

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَمُسْكُبِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأنعام: ١٦٢، ١٦٣)

"आप कह दें कि निःसंदेह मेरी नमाज, बलिदान, जीना तथा मरना केवल अल्लाह के लिए हैं जो

पूरी जगत का मालिक है, उसका कोई साझी नहीं, मुझे ऐसा ही आदेश दिया गया है तथा मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ।" (अल-अन्नामः १६२, १६३)

अल्लाह का यह भी वचन है :

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلُّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ)
(الکوثر: ۱، ۲)

"बेशक हम ने आप को कौसर प्रदान किया है, अतः अपने मालिक के लिए नमाज पढ़िए एवं कुर्बानी (बलिदान) कीजिए।" (अल-कौसरः १, २)

इसके अतिरिक्त विभिन्न कुरआनी श्लोक हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि सज्दा एवं जब्ह इबादत हैं, और इन दोनों को किसी अन्य के लिए करना महान शिर्क है।

प्र-३५: औलिया (सदाचारी भक्तों) की कब्रों का तवाफ करना, उनके लिए भेंट चढ़ाना, नजर एवं मिन्नत मानना कैसा है? इस्लामी दृष्टिकोण से वली किसे कहते हैं ? क्या औलिया से (चाहे जीवित हों या मृतक) दुआ के लिए निवेदन करना जाइज्ज है ?

उ-३५: मृतकों के लिए बलिदान करना, भेट चढ़ाना, नज़र एवं मिन्नत मानना महान शिर्क है।

वली वह है जो अल्लाह की इताअत (आज्ञापालन) करे, वही कार्य करे जिसका आदेश दिया गया है तथा उस कार्य से बचे जिसे निषेध किया गया है, यद्यपि उसके हाथ पर कोई करामत (चमत्कार) प्रकट न हो।

मृत्यु के बाद वली अथवा अन्य व्यक्तियों से दुआ के लिए निवेदन करना जाइज नहीं है, परन्तु जीवित सदाचारियों से दुआ कराना जाइज है। कब्रों का तवाफ करना जाइज नहीं है। तवाफ केवल काबा शरीफ के साथ खास है।

जो व्यक्ति कब्रों का तवाफ इस उद्देश्य से करे कि वह इस के द्वारा कब्रवासियों की निकटता प्राप्त करेगा तो यह महान शिर्क है, और यदि इससे उसका लक्ष्य अल्लाह की निकटता प्राप्त करना है तो यह मर्दूद एवं अस्वीकृत बिदअत (आविष्कार) है।

कब्रों का न तो तवाफ किया जाएगा न उस ओर नमाज पढ़ी जाएगी, यद्यपि इसका उद्देश्य अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करना क्यों न हो।



दावत एवं तबलीग

प्र-३६: अल्लाह की ओर दावत व तबलीग करने का क्या हुक्म है ?

उ-३६: यह प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है, जिसे अल्लाह ने कुरआन एवं हदीस प्रदान किया है। अल्लाह की ओर निमन्त्रण देने का जो आदेश आया है वह प्रत्येक मुसलमान को शामिल है। अल्लाह का आदेश है :

(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)
(النحل: ١٢٥)

"अपने रब (मालिक) के मार्ग की ओर लोगों को हिक्मत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाईये ।"
(अल-नहल: १२५)

साथ ही अल्लाह ने फरमाया :

(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ) (الحج: ٧٨)

"और अल्लाह की राह में वैसा ही जिहाद करो जैसे जिहाद का हक है।" (अल-हजः ७८)

अतः प्रत्येक मुसलमान पर अनिवार्य है कि जिहाद के हर प्रकार में यथा संभव सहभागी हों। विशेषकर वर्तमान काल में मुसलमानों पर ज़रूरी है कि इस्लामी शिक्षाओं का पालन करें, अल्लाह के मार्ग की ओर बुलायें, अल्लाह के मार्ग में जिहाद करें, यह जिम्मेदारी प्रत्येक मुसलमान पर लागू है। जो व्यक्ति इसकी अदाएगी (चुक्ति) में कोताही करेगा उसे अल्लाह का नाफरमान (अवज्ञाकारी) माना जाएगा।



कब्र इत्यादि को छूने का हुक्म

प्र-३७: नबी ﷺ अथवा अन्य रसूलों एवं नेक लोगों की कब्रों को छूना कैसा है ? इसी प्रकार मुकामे इब्राहीम, काबा की दीवार, उसके गिलाफ एवं द्वार को छूना कैसा है ?

उ-३७: हजरत अबूल अब्बास -रहेमहुल्लाह- ने बयान किया है कि इस्लामी उलमाओं (विद्वानों) का इस बात पर झित्तिफाक्र है कि जो व्यक्ति नबी ﷺ या किसी अन्य नबी तथा लोगों की कब्र का दर्शन करे तो न उसे छूए और न चूमें ।

हजे अस्वद के अतिरिक्त पृथ्वी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे चूमना धार्मिक दृष्टिकोण से उचित हो । सहीह बुखारी एवं सहीह मुस्लिम में हजरत उमर रजि अल्लाहु अन्हु का वचन है :

«وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقْبِلُكَ مَا قَبْلَتِكَ»

"अल्लाह की क्रसम! मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न तो तू हानि पहुँचा सकता है न लाभ, यदि मैंने नबी ﷺ को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं तुझे कभी नहीं चूमता ।"

अल्लाह का घर (काबा) किसी इन्सान के घर की तरह नहीं है, यह तो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर के कोने को छूना अथवा चूमना भिन्न बात है ।

इमाम गजाली -रहेमहुल्लाह- फरमाते हैं:

"कब्रों का छूना नसारा (इसाई) एवं यहूदी की रीति है ।"

मुक्रामे इब्राहीम के विषय में हजरत क्रतादह फरमाते हैं:

"मुसलमानों को उसके पीछे नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया है उसे छूने का आदेश नहीं दिया गया ।"

इमाम नववी -रहेमहुल्लाह- का वचन है :

"मुक्रामे इब्राहीम को न तो चूमा जाये न उसे छुआ जाये, क्योंकि ऐसा करना बिदअत है, अर्थात् इसका कोई प्रमाण नहीं है ।"

इमाम अबूल अब्बास ने चारों इमामों एवं अन्य विद्वानों का इस बात पर इत्तिफाक्र (सम्मत) नक्ल किया है कि

काबा के दोनों शामी कोने अथवा अन्य किसी भाग को नहीं चूमा जायेगा, क्योंकि नबी ﷺ ने केवल दोनों यमानी कोने को छूआ था ।

अतः जब काबा के कोने को छूने की अनुमति नहीं है तो फिर काबा के गिलाफ (पिधान) उसके द्वार को छूना कैसे उचित होगा? इसी प्रकार हरमे मक्की एवं मस्जिदे नबवी के द्वार का छूना जाइज नहीं है ।

अल्लाह हम सब को सहीह अकीदा अपनाने की तौफीक प्रदान करे । आमीन

अनुवादक :

मोहम्मद सलीम साजिद नेपाली

धनौजी-३, धनुषा (नेपाल)

(रियाध : २२-१२-१४२४ हिजरी)



هندی

مسائل مهمة في العقيدة الصحيحة

إعداد:

فضيلة الشيخ محمد جميل زينو
ترجمة:

محمد سليم ساجد النيبالي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بغرب الديرة - ص. ب : ١٥٤٤٨٨ ، ١١٧٣٦ ، الرياض
هاتف: ٤٢٩١٩٤٢ فاكس: ٤٢٩١٨٥١